न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर
अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद प्रकरण सं. 49/2023
जीसीएमएच:– 2023/96

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.रूपाराम पुत्र प्रेमाराम जाति विश्नोई निवासी लियादरा तह/जिला–सांचौर ।		1. अशोक कुमार पुत्र अम्बाराम। 2. विक्रम कुमार पुत्र अम्बाराम। 3. शांतिदेवी पत्नी अम्बाराम जातियान विश्नोई निवासीगण लियादरा तह/जिला सांचौर। 4. मंगलीदेवी पुत्री प्रेमाराम जाति विश्नोई निवासी पूर। 5. मोहनीदेवी पुत्री प्रेमाराम जाति विश्नोई निवासी – लियादरा तह/जिला सांचौर। 6. विरमा पुत्री प्रेमाराम जातियान विश्नाई निवासी – मिठड़ा तहसील धोरिमन्ना जिला बाड़मेर। 7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम.1955

उपस्थितः–

तारीख रजू:– 29.08.2023

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहीम शॉह।
2. प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 एक पक्षीय।

निर्णय दिनांक 13.01.2025

1. वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर में वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि आई हुई है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 156 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 2.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 501/158 रकबा 0.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 502/158 रकबा 2.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 503/159 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 504/155 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 536/505 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557/499 रकबा 1.42 हैक्टयर, कुल रकबा 6.96 हैक्टयर भूमि आई हुई है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रेमाराम के वंशज है। प्रेमाराम के दो पुत्र अम्बाराम , रूपाराम तथा तीन पुत्रीयां मंगलीदेवी, मोहनदेवी व विरमादेवी है। इस प्रकार उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6 प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा है। इसी हक हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 3 का मिलाकर 1/5 हक हिस्सा आया है।
2. वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अम्बाराम पुत्र प्रेमाराम के वंशज है, प्रतिवादी 1 ता 3 का मिलाकर 1/5 हक हिस्सा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की नियत में खोट आ गया है तथा अपने हिस्से से अधिक की भूमि हड़पक रने के उद्वेश्य से मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4,5,6 के उपयोग–उपभोग व कब्जे काश्त में दखलंन्दाजी कर रहे है। मुझ वादी ने व प्रतिवादी संख्या 4,5,6 ने आपसी सहमति से मौके व राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 ने टालमटोल किया तथा आये दिन खेत की बाड़ तोड़ देते है। लड़ाई झगड़ा करते है एवं औरतों को आगे करके कब्जा काश्त में दखलंदाजी करते है। दिनांक 25.04.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 मौके पर आकर गालियां धमकी दी कि तुम्हें खेत में काश्त नहीं करने देगें। यदि काश्त की तो लड़ाई झगड़ा करेगें। उक्त शामलाती भूमि में हिस्सा होने के आधार पर मुझ वादी को उक्त अपना हक हिस्सा अलग करवाने का अधिकार है से प्रतिवादीगण कब्जा काश्त एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.22 16:20:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

उपयोग—उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण फरमावे।

3. वादी की वाद में इस्तदुआ है कि मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 2.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 501/158 रकबा 0.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 502/158 रकबा 2.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 503/159 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 504/155 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 536/505 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557/499 रकबा 1.42 हैक्टयर, कुल रकबा 6.96 हैक्टयर जुमले रकबा 2.99 हैक्टयर में वादी व प्रतिवादी संख्या 4,5,6 प्रत्येक का 1/5—1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1,2,3 प्रत्येक का 1/15 —1/15 हिस्सा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 6 का राजस्व रैकर्ड में दर्ज खातेदारी अनुसार मिट्स एण्ड बाउट्स एवं कब्जे काश्त अनुसार वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बंटवाड़ा डिक्री जारी फरमावें।

4. वादी का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गए। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 कोई उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

5. वादी के विद्वांन अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का भली—भांति अवलोकन किया गाय। हस्तगत प्रकरण में विवादीत आराजी मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 2.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 501/158 रकबा 0.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 502/158 रकबा 2.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 503/159 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 504/155 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 536/505 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557/499 रकबा 1.42 हैक्टयर, कुल रकबा 6.96 हैक्टयर में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के बीच कब्जा काश्त व हक—हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर रास्ते की सुविधा देते हुए दोनों पक्षों को सूचित कर मौका फर्द बनाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेश दिये जाते है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करें। उक्तानुसार बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी किया जावे। तथा तहसीलदार सांचौर को निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

6. तहसीलदार सांचौर ने प्राथमिक डिक्री की पालना दिनांक 10.01.2025 को रिपोर्ट पेश कि मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल तहसीलदार सांचौर के खेत खसरा नम्बर 156,157,158,501/158, 502/158, 503/159, 504/155, 536/505, 557/499 कुल रकबा 6.96 हैक्अयर भूमि की मौके पर पक्षकारों की मौजूदगी में मौके पर कब्जा काश्त एवं मिट्स एंण्ड बाऊण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव संलग्न नजरी नक्शे में रंगों के अनुसार निम्नानुसार है—

क्र.स.	नाम खातेदार	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा है.	किस्म	लगान	मार्क/बरंग
1	रूपाराम पुत्र प्रेमाराम जाति विश्नोई साकिन देहखातेदार	लियादरा	158 में से	1.39	[illegible]	31.97	गुलाबी
	योग		**01**	1.39		31.97	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.22 16:20:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

2	अशोक कुमार पुत्र आंबाराम 1/3 हिस्सा, विक्रम पुत्र आंबाराम 1/3 हिस्सा, शान्तिदेवी पत्नी आंबाराम 1/3 हिस्सा जातियान विश्नोई सा. देहखातेदार	लियादरा	501/158 में से	0.75	चा.प्र. 0.60 जा.प्र. 0.15	13.80 1.20	हरा
			157 मेंसे	0.0.05	गै.मु.ढाणी	0	
			502/158 में से	0.59	चा.प्र. 0.59	13.57	
	योग		**03**	**1.39**		**28.57**	
3	मंगलीदेवी पुत्री प्रेमाराम 1/3हिस्सा, मोहनीदेवी पत्नी प्रेमाराम 1/3 हिस्सा, विरमा पुत्री प्रेमाराम 1/3 जातियान विश्नोई सा.देहखातेदार	लियादरा	502/158 में से	1.51	चा.प्र. 1.10 जा.प्र. 0.41	25.30 3.28	आसमानी
			158 में से	0.76	चा.प्र. 0.35 जा.प्र. 0.41	8.05 3.25	
			156	0.01	गै.मु.बेरा	0	
			503/159	0.13	बा.प्र.	0.36	
			504/155	0.13	चा.प्र. 0.08 जा.प्र. 0.05	1.84 0.40	
			536/505	0.22	चा.प्र. 0.14 जा.प्र. 0.08	3.22 0.64	
			557/499	1.42	चा.प्र. 0.88 जा.प्र. 0.54	20.24 4.32	
	योग		**7**	**4.18**		**70.93**	

7.

--आदेश--

अतः उपर्युक्त विवेचना के अनुसार वादी के वाद पत्र प्रतिवादीगण के बंटवाड़ा एवं प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट के अवलोकन से सिद्व होता है कि वादी का बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर में खेत खाता संख्या 71 के खेत खसरा नम्बर 158 में से रकबा 1.39 हैक्टयर भूमि वादी रूपाराम के गुलाबी रंग में दर्शायी गई है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से में खसरा नम्बर 501/158 में से रकबा 0.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 157 में से रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 502/158 में से रकबा 0.59 हैक्टयर कुल रकबा 1.39 हैक्टयर भूमि हरे रंग में दर्शायी गई है। जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का उक्त रकबा में 1/3 –1/3 हिस्सा रहेगा। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हिस्से में खसरा नम्बर 502/158 में से रकबा 1.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 158 में से 0.76 हैक्टयर, खसरा नम्बर 156 में से रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 503/159 में से रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 504/155 में से रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 536/505 में से रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557/499 [illegible] हैक्टयर कुल रकबा 4.58 हैक्टयर भूमि आसमानी रंग से दर्शायी गई है। जिसमें [illegible] संख्या 4 ता 6 प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा रहेगा। प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट [illegible] नक्शें में रंगों अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर खातेदार [illegible] तथा तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है वादी व प्रतिवादीगण के प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट की अनुपालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप भू–अभिलेख में इन्द्राज उपरान्त मुताबिक अद्यतन अभिलेख वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक–हिस्सो का माफिक बंटवाड़े के अनुसार

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.22 16:20:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

करवाया जाकर खाता एवं लगान पृथक किया जावें तथा मुताबिक तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत डिक्री पालना में प्रस्तुत संलग्न नक्शें के आधार पर पृथक–पृथक खाते में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रेषित करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वंय वहन करें।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

(प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

(प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.22 16:20:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner